

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :- नेहा गिरि, आई.ए.एस.जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा (अपील) नम्बर :- 12/2019

(Rcms no: 2019/00022)

उनवानी प्रकरण :-

1. कमल सिंह पुत्र सूबे जाति गुर्जर निवासी ग्राम कहारपुरा मटियावास तहसील बसेडी जिला धौलपुर _____ अपीलान्त।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये नायव तहसीलदार बसेडी जिला धौलपुर—रेस्पोंडेंट।

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 18.1.2019
तहसीलदार बसेडी प्र.सं.14/2018 उनवानी राज
सरकार बनाम कमल सिंह अंतर्गत धारा 75
भू-राजस्व अधि० 1956

उपस्थिति :-

अपीलान्त की ओर से :- श्री दिलीप कुमार शर्मा अभिभाषक।

रेस्पोंडेंट की ओर से :- श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक।

निर्णय दिनांक :-17.6.2019

निर्णय

अपीलान्त द्वारा यह अपील तहसीलदार बसेडी के निर्णय दिनांक 18.1.2019 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, कि पटवारी हल्का बडरिया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि आराजी खसरा नम्बर 123 रकवा 3 हैक्टेयर किस्म चारागाह स्थित ग्राम मटियावास पर फसल रबी सम्वत् 2075 में अतिक्रमण कर लिया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्त के विरुद्ध नोटिस जारी किये गये व अपीलान्त को उपस्थित दिखाकर पटवारी हल्का के एक पक्षीय रूप से बयान लिये जाकर लगान का 50 गुना शास्ति अपीलान्त पर अधिरोपित की जाकर तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त के कब्जे का जो आधार माना है वह गलत व अपर्याप्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामील अपीलान्त पर




नेहा गिरि
जिला कलक्टर धौलपुर

नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के एक पक्षीय रूप से बयान लिये गये हैं अपीलान्त को पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर नहीं दिया गया है और ना ही जबाव व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया है। निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में जो अतिक्रमण बताया है वह अपीलान्त ने नहीं किया है व प्रार्थी अपीलान्त का अतिक्रमण निकलता है तो वह छोड़ने को तैयार है। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट मौके व वास्तविकता के विपरीत की गई है। अपीलान्त का विवादित आराजी पर कब्जा नहीं है। इस बावत शपथ पत्र प्रस्तुत करने को तैयार है। अपीलान्त को उक्त फैसले के बारे में दिनांक 5.2.2019 को जानकारी हुई जब पुलिस थाना नादनपुर की ओर से सिपाही उनको गिरफ्तार करने गये । अपील जानकारी दिनांक से अन्दर अवधि प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.1.2019 निरस्त किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को नोटिस जारी कर तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोंडेन्ट की ओर से श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली की गयी।

अपीलान्त ने अपनी अपील के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी निर्णय दिनांक 18.1.2019 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की ।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलान्त के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी पर अपीलान्त को पश्चात्वती अतिक्रमी मानते हुए बिना सुने लगान का 50 गुना जुर्माना अधरोपित कर 3 माह के सिविल कारावास की सजा का आदेश दिया है, जो कि गलत है। अपीलान्त को बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जबाव व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समय नहीं दिया गया है, ना ही पटवारी हल्का से जिरह का अवसर दिया है। अपीलान्त को जबाव व साक्ष्य एवं जिरह का अवसर प्रदान किया जाता तो अपीलान्त अपने समर्थन में जबाव साक्ष्य अवश्य प्रस्तुत करता। जैसे ही अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी हुई अपीलान्त ने विवादग्रस्त आराजी से अपना कब्जा छोड़ दिया है एवं भविष्य में कब्जा नहीं करेंगे इस बात का शपथ पत्र दे दिया है। तहसीलदार बसेडी की रिपोर्ट दिनांक 30.5.2019 में अपीलान्त द्वारा 0.03 हैक्टैयर पर झोपडी व पत्थर डालकर नवीन अतिक्रमण होना बताया है इस सम्बन्ध में भी अपीलान्त कब्जा छोड़ने एवं भविष्य में कब्जा नहीं करने बावत शपथ पत्र प्रस्तुत कर देगा । अतः अपील


मेहा गिरि
जिला कलक्टर धौलपुर




अपीलान्त स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.1.2019 निरस्त किया जावे।

रैस्पोंडेंट के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया, कि अपीलान्त विवादित आराजी पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है, जो पश्चात्वर्ती अतिक्रमी की परिभाषा में आता है, जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयान से होती है। अपीलान्त ने सम्वत् 2074 में भी अतिक्रमण किया था जिसे बेदखल किया गया था। अपीलान्त के विद्वान अभिभाषक का यह कथन गलत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जबाव साक्ष्य व पटवारी हल्का से जिरह का अवसर नहीं दिया है तथा बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये निर्णय पारित कर दिया है। इस तथ्य को सिद्ध करने हेतु अपीलान्त ने न तो कोई दस्तावेजी साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय में पेश किये ना ही इस न्यायालय में प्रस्तुत किये हैं। निर्णय दिनांक को अपीलान्त अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित था तो उसको न्यायालय से समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर समय की माँग करनी चाहिए थी जो उसके द्वारा नहीं की गई। यदि अपीलान्त का विवादित आराजी पर कब्जा नहीं था तो उनके द्वारा जुर्माना राशि की अदायगी क्यों की गई तथा कब्जा छोड़ने सम्बन्धी शपथ पत्र क्यों प्रस्तुत किया। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.1.2019 यथावत रखा जावे।

अपीलान्त द्वारा कब्जा छोड़ने एवं भविष्य में कब्जा नहीं करने सम्बन्धी शपथ पत्र का सत्यापन तहसीलदार बसेडी से कराया गया। तहसीलदार बसेडी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 30.5.2019 के द्वारा अवगत कराया है कि अपीलान्त ने आराजी खसरा नम्बर 123/65.75 नाजायज रकवा 3 हैक्टेयर किस्म चारागाह से अतिक्रमण हटा लीया है। वर्तमान में अपीलान्त द्वारा झोपडी व पत्थर डालकर 0.03 हैक्टेयर भूमि पर नवीन अतिक्रमण कर रखा है। शेष भूमि अतिक्रमण मुक्त है।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन कर मनन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि :-

1. यह तथ्य सही है कि अपीलान्त विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी है। इस तथ्य की पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयान से होती है।
2. विद्वान अभिभाषक अपीलान्त का यह कथन सिद्ध नहीं होता कि बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय पारित किया गया है। इस बिन्दु के सम्बन्ध हमारा मत है कि अपीलान्त अधीनस्थ न्यायालय में निर्णय दिनांक 18.1.2019 को उपस्थित था। अपीलान्त को जबावदेही एवं अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय से समय की माँग करनी चाहिए थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिससे इस तथ्य की पुष्टि हो सके कि अपीलान्त


नेहा गिरि
जिला कलक्टर धौलपुर



ने जबाव व साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया ।

3. अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र का सत्यापन तहसीलदार बसेडी से कराया गया । तहसीलदार बसेडी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 30.5.2019 द्वारा अवगत कराया है कि अपीलान्ट द्वारा विवादित आराजी से कब्जा हटा लिया गया है किन्तु अपीलान्ट द्वारा झोपडी व पत्थर डालकर 0.03 हैक्टेयर भूमि पर नवीन अतिक्रमण कर रखा है। शेष भूमि अतिक्रमण मुक्त है। नवीन अतिक्रमण 0.03 हैक्टेयर से भी अपीलान्ट कब्जा छोड़ने एवं भविष्य में कब्जा नहीं करने बावत शपथ पत्र प्रस्तुत कर देगा।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तथा प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं ।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलान्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर निरस्त की जाती है कि अपीलान्ट 0.03 हैक्टेयर नवीन अतिक्रमण के सम्बन्ध में तहसीलदार बसेडी के समक्ष इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत कर दे कि उसने सभी सरकारी आराजी से कब्जा (अतिक्रमण) छोड़ दिया है तथा भविष्य में कभी भी किसी भी सरकारी आराजी पर कब्जा / अतिक्रमण नहीं करेगा । अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में आराजी खसरा नम्बर 123 रकवा 3 हैक्टेयर से कब्जा छोड़ने एवं भविष्य में कब्जा नहीं करने सम्बन्धी शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार बसेडी पुनः मौके पर जाकर पुष्टि करेंगे कि वास्तव में अपीलान्ट द्वारा समस्त सरकारी आराजी से कब्जा छोड़ दिया है वर्तमान में कब्जा नहीं है। यदि अपीलान्ट शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के बाद भी पुनः अतिक्रमण कर कब्जा करता है तो उसे दी गई सिविल कारावास की सजा का आदेश यथावत बहाल रहेगा तथा झूठा शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में तहसीलदार बसेडी अपीलान्ट के विरुद्ध नियमानुसार अलग से कार्यवाही करेंगे। शेष निर्णय यथावत रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मूल शपथ पत्र एवं निर्णय की प्रति के साथ वापिस भिजवाई जावे। शपथ पत्र की प्रमाणित प्रति पत्रावली में सुरक्षित रखी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफ़्तर हो। पत्रावली नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 17.6.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



15/11/19
(नेहरू गिरि)
जिला कलेक्टर, घाज़पुर